भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2317

जिसका उत्तर 05 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

चौबीसों घंटे विद्युत की आपूर्ति

2317. श्री सौमित्र खानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी को चौबीसों घंटे विद्युत प्रदान करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों की सूची क्या है जिन्होंने अपने सभी नागरिकों को चौबीसों घंटे विद्युत देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत कंपनियों की स्थिति में सुधार हेतु उदय 2.0 आरंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी परिवारों के लिए विद्युत मीटर प्रदान/लगाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण करना राज्य सरकारों और राज्य वितरण यूटिलिटियों का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत के साथ सभी घरों, उद्योगों एवं अन्य विद्युत खपत करने वाली इकाइयों को 24x7 विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल शुरू की है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 01 अप्रैल, 2019 के बाद से 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन राज्यों की सूची, जिन्होंने अपने सभी नागरिकों को 24x7 विद्युत की उपलब्धता हासिल कर ली है, **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) : जबकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, वितरण यूटिलिटियों के प्रचालन एवं वित्तीय दक्षताओं सहित विद्युत का वितरण राज्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट अभिभाषण के माध्यम से यह इंगित किया है कि वह डिस्कॉमों के वित्तीय संकट के मद्देनजर डिस्कॉम सुधार जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

(घ) और (ड.) : विद्युत मीटरों की स्थापना करना राज्यों की वितरण यूटिलिटियों का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास प्रणाली (आईपीडीएस) सहित अपनी स्कीमों के माध्यम से वितरण अवसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। उपभोक्ता मीटर दोनों स्कीमों का एक महत्वपूर्ण घटक है। दोनों स्कीमों के अंतर्गत संस्वीकृत एवं संस्थापित उपभोक्ता मीटरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	डीडीयूजीजेवाई (सौभाग्य सहित) (संख्या)	**आईपीडीएस (संख्या)**
संस्वीकृत मीटर	1,50,22,613	86,86,847
संस्थापित मीटर	1,35,66,412	80,29,707

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 05.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2317 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के एमआईएस में राज्यों द्वारा दी गई दिसम्बर, 2019 के माह के लिए उपलब्ध स्थिति के अनुसार, सभी को 24x7 विद्युत की उपलब्धि निम्नानुसार है:

मद	**राज्य का नाम***
8 राज्यों में 24 घंटे आपूर्ति	गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल
6 राज्यों में <24 से 23 घंटे आपूर्ति	उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़
5 राज्यों में <23 से 20 घंटे आपूर्ति	राजस्थान, ओडिशा, बिहार, मेघालय, कर्नाटक
10 राज्यों में <20 घंटे आपूर्ति	असम, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, झारखंड, लद्दाख

*गोवा एवं संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर।

****